



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2009/चैत्र 2, 1931

No. 40]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2009/CHAITRA 2, 1931

### भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का संख्यांक 6)

सं. 5-2/2005-प्र. एवं का.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है), की अनुसूची I में,—

(क) सचिव के पद के सम्मुख, "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "21 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "अठ्ठाईस वर्ष का

अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "21 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "पच्चीस वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत,—

(I) प्रविष्टि (ii) में, "4 वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) ग्रुप क अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में छब्बीस वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसमें से कम से कम छह वर्ष की निरंतर सेवा एसएजी में होगी",

(ग) सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "17 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "बीस वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत,—



(I) प्रविष्टि (ii) में, “4 वर्ष की नियमित सेवा” शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, “छह वर्ष की नियमित सेवा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) ग्रुप क अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में बीस वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें से कम से कम छह वर्ष की निरंतर सेवा प्रवरण ग्रेड में होगी”;

(घ) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) “सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, “14 वर्ष का अनुभव” शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, “सोलह वर्ष का अनुभव” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(आ) “प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अंतर्गत,—

(I) प्रविष्टि (ii) में, “4 वर्ष की नियमित सेवा” शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, “पांच वर्ष की नियमित सेवा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) ग्रुप क अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में सोलह वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होगी”;

(ङ) उप-सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(आ) “प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अंतर्गत,—

(I) प्रविष्टि (ii) में, “4 वर्ष की नियमित सेवा” शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, “पांच वर्ष की नियमित सेवा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) ग्रुप का अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में दस वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा वरिष्ठ समय-मान में होगी”;

(च) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के सम्मुख,—

(आ) “प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, मद (ii) में, “7 वर्ष की संयुक्त सेवा” शब्दों के पश्चात् “नियमित आधार पर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(छ) अंत में टिप्पणी 5 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“टिप्पणी 6.—(i) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल कोई अधिकारी, जो सलाहकार का पद धारण कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अध्यक्षीन, समूह क में अथवा समकक्ष ग्रेड में 28 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत, जिसमें से न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 10 वर्ष की सेवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में होगी, प्रधान सलाहकार के आगामी उच्च ग्रेड में वैयक्तिक उन्नयन के लिए अर्हक होगा ।

(ii) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल कोई अधिकारी, जो संयुक्त सलाहकार का पद धारण कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अध्यक्षीन, समूह क में अथवा समकक्ष ग्रेड में 22 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत, जिसमें से न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 10 वर्ष की सेवा संयुक्त सलाहकार ग्रेड में अथवा किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में होगी, प्रधान सलाहकार के आगामी उच्च ग्रेड में वैयक्तिक उन्नयन के लिए अर्हक होगा ।

(iii) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए “निरंतर सेवा” का अर्थ प्रासंगिक ग्रेड अथवा पद में बिना किसी बाधा के निरंतर की गई सेवा है, जिसमें इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि ऐसी सेवा अधिकारी के मूल संवर्ग में अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा प्राधिकरण में की गई है ।

(iv) खंड (i) और खंड (ii) में उल्लिखित वैयक्तिक उन्नयन के लिए “10 वर्ष की सेवा” की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी सेवा का अर्थ होगा अधिकारी के मूल संवर्ग में अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा प्राधिकरण में प्रासंगिक ग्रेड में कोई सेवा, जिसमें बीच में किसी व्यवधान अथवा अन्य व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(v) आगामी उच्च ग्रेड में उन्नयन निम्न ग्रेड में पद धारण करने वाले अभ्यर्थी के लिए वैयक्तिक होगा तथा जब कभी भी अभ्यर्थी उन्नयित पद को रिक्त करेगा, उन्नयित पद अपने मूल निम्न पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा ।”

बिनोद कुमार, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[विज्ञापन III/4/असा./142/08]

टिप्पणी.—प्रधान विनियम संख्या 5-4/2000 (प्र. एवं का.) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

संशोधन	संख्या और तारीख
पहला	1-6/2002-प्र. एवं. का. दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5-4/2000-प्र. एवं. का. (खंड-I) दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5-4/2000-प्र. एवं. का. (खंड-II) दिनांक 17 जून, 2004
चौथा	5-4/2000-प्र. एवं. का. (खंड-II) दिनांक 10 मई, 2005



पांचवां	5-4/2000-प्र. एवं का. (खंड-II) दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5-4/2000-प्र एवं का. (खंड-II) दिनांक 09 अक्टूबर, 2006
सातवां	5-4/2000-प्र एवं का. (खंड-II) दिनांक 31 दिसम्बर, 2008

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2009

#### The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Eighth Amendment) Regulations, 2009

(No. 6 of 2009)

**No. 5-2/2005-A&P.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 and sub-section (1) of Section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Eighth Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001, (hereinafter referred to as the principal regulations),—

(a) against the post of Secretary, in the entry under the heading “Qualification & experience for Direct Recruit”, for the figure and words “21 years experience”, the words “twenty eight years experience” shall be substituted;

(b) against the post of Principal Advisor,—

(A) in the entry under the heading “Qualification & experience for Direct Recruit”, for the figure and words “21 years experience”, the words “twenty five years experience” shall be substituted;

(B) under the heading “Qualification & experience for deputation”,—

(I) in entry (ii), for the figure and words “4 years of regular service”, the words “six years of regular service” shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely:—

“(iii) Group A officers having twenty six years of regular service in Group A of which at least six years continuous service shall be in the SAG”;

(c) against the post of Advisor,—

(A) in the entry under the heading “Qualification & experience for Direct Recruit”, for the figure and words “17 years experience”, the words “twenty years experience” shall be substituted;

(B) under the heading “Qualification & experience for deputation”,—

(I) in entry (ii), for the figure and words “4 years of regular service”, the words “six years of regular service” shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely:—

“(iii) Group A officers having twenty years of regular service in Group A of which at least six years continuous service shall be in the Selection Grade”;

(d) against the post of Joint Advisor,—

(A) in the entry under the heading “Qualification & experience for Direct Recruit”, for the figure and words “14 years experience”, the words “sixteen years experience” shall be substituted;

(B) under the heading “Qualification & experience for deputation”,—

(I) in entry (ii), for the figure and words “4 years of regular service”, the words “five years of regular service” shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely:—

“(iii) Group A officers having sixteen years of regular service in Group A of which at least five years continuous service shall be in the Junior Administrative Grade”;

(e) against the post of Deputy Advisor,—

(A) under the heading “Qualification & experience for deputation”,—

(I) in entry (ii), for the figure and words “4 years of regular service”, the words “five years of regular service” shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely:—

“(iii) the Group A officers with ten years of regular service in Group A of which at least five years continuous service shall be in the Senior Time Scale”;

(f) against the post of Senior Research Officer,—

- (A) in the entry under the heading “Qualification & experience for deputation”, in item (ii), after the words “7 years of combined service”, the words “on regular basis” shall be inserted;

(g) after Note 5 at the end, the following note shall be inserted, namely:—

“Note 6.—(i) An officer borne on the cadre of the Authority and holding the post of Advisor shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for personal upgradation to the next higher grade of Principal Advisor upon completion of 28 years of regular service in Group A or in an equivalent grade of which at least 8 years of regular service or 10 years of service shall be in the Senior Administrative Grade or any other equivalent grade.

- (ii) An officer borne on the cadre of the Authority and holding the post of Joint Advisor shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for personal upgradation to the next higher grade of Advisor upon completion of 22 years of regular service in Group A or in an equivalent grade of which at least 8 years of regular service or 10 years of service shall be in the grade of Joint Advisor or any other equivalent grade.
- (iii) For the purpose of these regulations, “continuous service” shall mean service rendered in the relevant grade or post continuously without any break

irrespective of whether such service was rendered in the parent cadre of the officer or any other organization or in the Authority.

- (iv) For the purpose of reckoning “10 years of service” for personal upgradation mentioned in clause (i) and clause (ii), such service would mean any service in the relevant grade in the parent cadre of the officer or in any other organization or in the Authority irrespective of any break or breaks in between.
- (v) Upgradation to the next higher grade shall be personal to the incumbent holding a post in the lower grade and the upgraded post shall revert to its original lower post as and when the incumbent vacates the upgraded post.

BINOD KUMAR, Adviser (A & P)

[ADVT/III/4/Exty/142/08]

**Note :** The principal regulations were published *vide* No. 5-4/2000 (A&L) dated 15th February 2001 and amended *vide*

- (i) 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004  
 (ii) 5-4/2000-A&L (Vol. I) dated 11th May, 2004  
 (iii) 5-4/2000-A&L (Vol. II) dated 17th June, 2004  
 (iv) 5-4/2000-A&P (Vol. II) dated 10th May, 2005  
 (v) 5-4/2000-A&P (Vol. II) dated 26th May, 2006  
 (vi) 5-4/2000-A&P (Vol. II) dated 9th October, 2006  
 (vii) 5-4/2000-A&P dated 31st December, 2008